

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 26/2024  
अनवान : -

1. मंगलाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम्**

1. कलावन्ती पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. लीलावती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री मांगीलाल देहड़ू अधिवक्ता वादी  
श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता प्रतिवादीगण  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: ०९/०२/२०२४

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 8 केएम पटवार हल्का सरदारपुरा तहसील रावतसर के खाता संख्या 70/80 की कुल 5.4620 हैक्ट में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 34/29 की कुल 15.1661 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 71/56 की कुल 11.9930 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 3 केएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 40/42 की कुल 0.9120 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 1 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता 17/18 की कुल 11.2700 हैक्ट भूमि में से 7043/112700 हिस्सा भूमि मनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मनीराम पुत्र मोमनराम का देहान्त हो चुका है मनीराम पुत्र मोमनराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स० 1 ता 5 है जो मनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।



01

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 5 की तरफ से श्री सत्यप्रकाश अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा चक 8 केएम तहसील रावतसर खाता संख्या 70/80, रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर खाता संख्या 34/29, रोही मौजा 2 टीकेएम खाता संख्या 71/56, रोही मौजा 3 केएम थालडका खाता संख्या 40/42, रोही मौजा 1 टीकेएम थालडका तहसील नोहर खाता संख्या 17/18, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक मनीराम व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता मनीराम पुत्र मोमनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 8 केएम पटवार हल्का सरदारपुरा तहसील रावतसर के खाता संख्या 70/80 की कुल 5.4620 हैक्ट में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी थालडका तहसील नोहर के खाता संख्या 34/29 की

कुल 15.1661 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 71/56 की कुल 11.9930 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 3 केएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 40/42 की कुल 0.9120 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 1 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता 17/18 की कुल 11.2700 हैक्ट भूमि में से 7043/112700 हिस्सा भूमि मनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता मनीराम पुत्र मोमनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मनीराम पुत्र मोमनराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 केएम पटवार हल्का सरदारपुरा तहसील रावतसर के खाता संख्या 70/80 की कुल 5.4620 हैक्ट में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 34/29 की कुल 15.1661 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 71/56 की कुल 11.9930 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 3 केएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 40/42 की कुल 0.9120 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 1 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता 17/18 की कुल 11.2700 हैक्ट भूमि में से 7043/112700 हिस्सा भूमि मनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मनीराम पुत्र मोमनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (पंकज गढ़वाल R.A.S)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर  
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 26/2024

अनवान : -

1. मंगलाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कलावन्ती पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. लीलावती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 26 सन 2024 निर्णय दिनांक- 09/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगीलाल देहडू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 केएम पटवार हल्का सरदारपुरा तहसील रावतसर के खाता संख्या 70/80 की कुल 5.4620 हैक्ट में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 34/29 की कुल 15.1661 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 71/56 की कुल 11.9930 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 3 केएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 40/42 की कुल 0.9120 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 1 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता 17/18 की कुल 11.2700 हैक्ट भूमि में से 7043/112700 हिस्सा भूमि मनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मनीराम पुत्र मोमनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर